भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 473
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

न्यायालय में मुकदमों का अत्याधिक लंबन

473. सुश्री दिया कुमारी :
श्रीमती लॉकेट चटर्जी :
डॉ. निशिकांत दुबे :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने मामले गंभीर प्रकृति के हैं ;
(ख) आज की तारीख के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा विभिन्न जिला न्यायालयों और अधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं और समयबद्ध तरीके से बैकलॉग कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है ;
(ग) क्या सरकार को देश की आबादी के मुकाबले न्यायालयों की अत्यधिक निम्न अनुपात की जानकारी है और यदि हां, तो अनुपात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;
(घ) क्या सरकार देश में नए उच्च न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ङ) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान आम/गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और
(च) विभिन्न न्यायालयों में लबित पड़े मामलों के समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक ड़ाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है। एनजेडीजी गम्भीर प्रकृति के मामलों से संबंधित डाटा पृथक रूप से उपलब्ध नही करता है।

(ख) : उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, तारीख 14.11.2019 के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

न्यायालय का नाम	लंबित मामले
उच्चतम न्यायालय (तारीख 01.11.2019 के अनुसार)	59,867
उच्च न्यायालय	44,76,625
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,14,53,55

अधिकरणों में लंबित मामलों से संबधित डाटा एनजेडीजी पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में मामलों का निपटारा करना न्यायापालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समय से निपटारा करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और

भौतिक अवसंरचना, अंतर्ग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात्, बार, जाँच अभिकरण, साक्षी और मुवक्किल तथा नियमों और प्रकियाओं का उचित रूप से लागू होना है ।

(ग) : वर्ष 2011 की जनगणना की जनसंख्या पर आधारित और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद-संख्या से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर कुल कार्यरत न्यायाधीश का अनुपात 20.39 है। इमतियाज़ अहमद बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2012 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या के वैज्ञानिक निर्धारण के लिए एक पद्धति को विकसित करने के लिए भारत के विधि आयोग ने अपने 245 रिपोर्ट (2014) में देश में न्यायाधीशों की पद संख्या की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात के वैज्ञानिक मापदंडों विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या वर्ष 2014 में 19518 से बढकर वर्तमान में 23566 हो गई है। त्वरित निपटान न्यायालय गंभीर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक व वैवाहिक विवादों आदि मामलों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बलात्संग और पोस्को अधिनियम के अधीन लंबित 166822 मामलों के त्वरित निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है।

(घ) : देश में नये उच्च न्यायालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) : देश के आम/गरीब लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 , 2018-19 और 2019-20 (नवंबर तक) के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को 390 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। नालसा ने तालुका न्यायालयों, जिला न्यायालयों और राज्यों के स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की । इन विधिक सेवा संस्थाओं के अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कराने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है। नि:शुल्क विधिक सेवाओं में न्यायालय फीस का संदाय, अधिवक्ता उपलब्ध कराना और अभिलेख पत्रिका की तैयारी करना सम्मिलित है। नालसा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 अधिसूचित किया है। उक्त विनियम समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं और बच्चों को हकदारी बनाता है। लंबित मामलों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) के अधीन संचालित लोक अदालतों में भी विचार किया जाता है व निपटाया जाता है। 172.60 लाख लंबित मामले वर्ष 2015 से आज तक राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए हैं।

(च) : सरकार, संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39क के आदेश के अनुसरण में न्याय की पहुंच की अभिवृद्धि के लिए मामलों का त्वरित निपटान करने और लंबित मामलों में कमी करने लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थिकी प्रणाली का उपबंध करने के लिए कई पहल किए गए हैं। सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित दृष्टिकोण अंकगीकार किया गया है जिसके अंतर्गत न्यायालय हेतु अवसंरचना का सुधार करना बेहतर न्याय परिदान के लिए संचार और प्रौद्योगिकी का प्रभावन (आईसीटी) प्रदान करने तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों की रिक्त स्थितियों को भरा जाना सम्मिलित है। अनुकाल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) और विशेष प्रकार के मामलों के त्वरीत निपटान की पहल

पर जोर देने हेतु जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर अनुवर्ती माध्यम से लंबित मामलों में कमी करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

****

उपाबंध

14.11.2019तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 10 वर्ष से अधिक। (14.11.2019 को)**
1	एक प्रायद्वीप	0
2	आंध्र प्रदेश	4213
3	तेलंगाना	6828
4	अरुणाचल प्रदेश	------
5	असम	2806
6	बिहार	377,250
7	चंडीगढ़	49
8	छत्तीसगढ़	774
9	दादर और नागर हवेली	198
10	दमन और दीव	67
11	दिल्ली	4865
12	गोवा	1698
13	गुजरात	175,439
14	हरियाणा	501
15	हिमाचल प्रदेश	735
16	जम्मू - कश्मीर	4009
17	झारखंड	11433
18	कर्नाटक	35761
19	केरल	6264
20	लक्षद्वीप	--------
21	मध्य प्रदेश	13526
22	महाराष्ट्र	250,095
23	मणिपुर	258
24	मेघालय	758
25	मिजोरम	18
26	नागालैंड	-------
27	ओडिशा	175,409
28	पंजाब	918
29	राजस्थान	48437
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	34037
32	पांडिचेरी	-------
33	त्रिपुरा	1196
34	उत्तर प्रदेश	943,935
35	उत्तराखंड	2795
36	पश्चिमी बंगाल	286,443
कुल		**2390715**

स्रोत: एनडेडीजी वेब पोर्टल

नोट: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड , और केंद्रशासित प्रदेश **लक्षद्वीप** और **पुदुचेरी** राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डेटा एनडेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।